न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1039/2017
GCMS NO. : 2017/00242

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. छोटाराम पुत्र घीसाराम 2. अनाराम पुत्र घीसाराम जाति– माली, निवासी– जैतारण बैरा सिरोला, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।		1. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल 2. कालूराम पुत्र मोहनलाल 3. भूराराम पुत्र मोहनलाल 4. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति– माली, निवासी– जैतारण बैरा सिरोला, 5. पुरूषोत्तम पुत्र नरसिंगदास जाति– वैष्णव 6. सुरेश पुत्र जसराज जाति– माली निवासीगण– जैतारण तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 13/06/2017**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चुतरामभाटी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण में सायलान् एवं गैरसायलान् अन्य खातेदारान् की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 358 रकबा 02–06 बीघा, खसरा नम्बर 359 रकबा 11–16 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 18–12 बीघा, खसरा नम्बर 362 रकबा 15–11 बीघा, खसरा नम्बर 363 रकबा 14–07 बीघा कुल रकबा 62–12 बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की पेश है। उक्त भूमि मे सायलान् एवं गैरसायलान् तथा अन्य खातेदारान् जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक व दो मे दर्ज कृषि भूमि जमाबन्दी मे खातेदारान अर्थात सायलान् एवं गैरसायलान् की समालाती खातेदारी में दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाया जाना आवश्यक है, सामलाती खातेदारी की भूमि होने से सायलान् को बैंक से किसान कार्ड बनवाने मे तथा अपने हिस्से की कृषि भूमि को काबिल काश्त बनाने हेतु खाद बीज लेने हेतु बैंक से ऋण लेने मे अनेको प्रकार की कठिनाईयां पैदा होती है, सायलान् ने यह भी निवेदन किया कि अपन सभी एक ही परिवार के सदस्य है। सामलाती खातेदारी की भूमि का बंटवाडा होने से अपने परिवारो के बीच आपस मे प्रेमभाव बना रहेगा भविष्य मे आने वाली पीढियों के बीच भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मभाव रहेगा व वैमनस्यता पैदा नही होगी सायलान् ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित भूमि के बंटवाडा हेतु दिनांक 20/05/2017 को गैरसायलान् को कहा तो इन्कार हुए सायलान् के खेतो की खन्दक को गैरसायलान् आये दिन तोडफोड खूर्द बूर्द कर सायलान् के हिस्से की भूमि को अपने खेतो मे मिलाते है। उक्त गैरकानूनी कृत्यों बाबत् सायलान् ने गैरसायलान् को ओलबा दिया तो गैरसायलान् नही माने इतना ही नही गैरसायलान् ने सायलान् को यह भी ऐलानियां धमकी दी कि सामलाती खातेदारी की भूमि को बिना बंटवाडा करवाये ही अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण करेगें व तुम्हे कुओं से रोटेशन से पानी निकालकर फसलों की पिलाई नही करने देगें इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी-कृत्यो को रोकें जाने हेतु सायलान् ने यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के प्रस्तुत किया है। गैरसायलान् सामलाती खातेदारी की भूमि का बिना बंटवाडा करवायें किसी अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो बेचानकर्ता ने अपने कौन से भू-भाग का क्रेता को कब्जा संभलाया है, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है तथा क्रेता क्रय किये गये भाग पर कब्जा न कर जहां भूमि कीमती व लाभ देने वाली होगी वहां पर कब्जा कर लेगा जिससे सायलान् को असीम क्षति होगी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन नही होगा, इसलिए कानून की भी यही मंशा है कि सामलाती भूमि का कानूनन बंटवाडा होने के बाद ही बेचान हस्तान्तरण किया जाना न्यायोचित है इसलिए सायलान् ने गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस से तथा मौके पर सायलान् का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे है। यदि गैरसायलान् द्वारा बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो कब्जे को लेकर मौके पर वाद विवाद होगा जिससे विविध प्रकार की पेचीदगीयां पैदा होगी तथा सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे दर्ज कृषि भूमि का जब तक कानूनी बंटवाडा नही हो तब तक गैरसायलान् बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे तथा सायलान अपने हिस्से की भूमि मे काश्त करे या करावे तो उसमे गैरसायलान वारिसान आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दांती नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य सहायता जो सायलान प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:02 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 व 06 की

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ोर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 05 को बार ार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मनस्/सूचना तामिली के अनुपस्थित रहनें से नके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही की गई। जवाब प्रार्थना पत्र पेश करनें के अनेकानेक अवसर देनें के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र नहीं करनें से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वार वादग्रस्त आराजी जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि है के कानूनन बंटवाड़ा वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। सहखातेदारी भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में निहित माना जाता है तथा कानूनन बंटवाड़ा करवाये बिना अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू भाग का बैचान प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् में जटिलता उत्पन्न करता है। अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होता है।

2. सुविधा का सतुंलन :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार अपने हक हिस्से तक ऐसी आराजी के उपयोग एवं उपभोग तथा कब्जा काश्त का अधिकारी होता है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार यदि उभयपक्षकारान् को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप से उभयपक्ष प्रभावित होगें। अतः यह स्पष्ट है कि यदि उभयपक्षकारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो उभयपक्षकारान को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 358 रकबा 02–06 बीघा,

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 359 रकबा 11-16 बीघा, खसरा नम्बर 360 रकबा 18-12 बीघा, खसरा नम्बर 362 रकबा 15-11 बीघा, खसरा नम्बर 363 रकबा 14-07 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 62-12 बीघा किस्म चाही दोयम का बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:02 IST
Reason: SelfAttested